फर्द–अहकाम
(नियम–26)

# अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

**प्रार्थी**

**Edelweis Asset Reconstruction Company Limited, 2nd Floor, Plot N. 100, Vaishali Marg, Vaishali Nagar, jaipur, Rajasthan-302021**
जरिये प्राधिकृत अधिकारी
**Heera Lal Saini**

बनाम

**अप्रार्थीगण**

1. **M/S BHATIYA AUTOMOBILE**
**ADD-1: NEAR BUS STAND, CITY KUCHERA, NAGAUR, RAJASTHAN - 341024**
**ADD-2: PATTA NO. 41, WARD NO. 05, KUCHERA, TEHSIL MUNDWA, DIST NAGAUR, RAJASTHAN, MEASURING 299.44 SQ. YD. and others**

**किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या** 229 **सन् 2024**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.11.2024 | प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।<br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण को ऋण HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED द्वारा उपलब्ध करवाया गया हैं, जबकि सम्पति का कब्जा हेतु प्रार्थी कम्पनी Edelweis Asset Reconstruction ने यह आवेदन जरिऐ असाईनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 28.02.2023 के आधार पर पेश किया गया । असाईनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 28.02.2023 पर अप्रार्थीगण की सहमति स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। पत्रावली में प्रस्तुत सहमति–पत्र दिनांक 16.06.2017 के अनुसार प्रश्नगत भूमि के काम्पलेक्स में से भाग अलग–अलग किराये पर श्री मनमोहन,श्री पप्पूलाल खाती,श्री उमेश एवं श्री नरेश द्वारा लिये हुवे हैं। प्रस्तुत प्रकरण में कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाना हैं,जबकि किरायेनामें के आधार पर कब्जा किरायेदारों के पास हैं,इसलिए उनको भी बेदखल करने से पहले उन्हें सुना जाना होता हैं,परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उन्हें पक्षकार दर्ज नहीं किया गया हैं एवं न ही धारा 13(2) के नोटिस में उन्हें पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अतः उपरोक्त बिन्दू पर प्रार्थी की सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 12.12.2024 को पेश हो।<br>जिला मजिस्ट्रेट, नागौर | |
| 12/12/2024 | वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी गत आदेशिका की पालना हेतु समय चाहते हैं। अंतिम समय दिया गया। पत्रावली [illegible] 24/01/2025 को पेश हो।<br>जिला मजिस्ट्रेट नागौर | |
| 24/1/25 | वकील प्रार्थी उप०। श्रीमान P.O.सा. प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/2/25 को पेश हो। | |
| 25/2/25 | वकील प्रार्थी उप०। श्रीमान P.O.सा. समकीय दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 18/3/25 को पेश हो। | |

18/03/2025 वकील प्रार्थी उप० श्रीमान् P.O. सा. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/03/2025 को पेश हो।

27/03/2025 वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी गत आदेश की पालना आयन्दा करना चाहते है। पत्रावली दिनांक 17/04/2025 को पेश हो।

कलक्टर नागौर

17/04/2025 वकील प्रार्थी उप०
श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 08/05/2025 को पेश हो।

08/05/2025 वकील प्रार्थी उप० श्रीमान् P.O. सा. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 10/06/2025 को पेश हो।

10/06/2025 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी एवं प्रार्थी अभिभाषक अनुपस्थित है। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 15/11/2024 के पालना में अभी तक कोई कार्यवाही पेश नहीं की गई है इसलिए इस पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

कलक्टर नागौर